

कलेक्टर व निगम आयुक्त द्वारा हनुमान ताल का निरीक्षण बांध की स्लैब को चौड़ा करने व रैलिंग लगाने के दिये निर्देश निगम द्वारा हनुमान ताल का किया जाना है सौन्दर्यीकरण

रतलाम 06 दिसम्बर । बरबड़ रोड स्थित हनुमान ताल का सौन्दर्यीकरण नगर निगम द्वारा किया जाना है इस हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, निगम अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ तालाब का निरीक्षण किया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री डाड ने निरीक्षण के दौरान तालाब के नक्शे का अवलोकन कर तालाब की वास्तविक स्थिति को देखकर निर्देशित किया कि तालाब का सीमांकन कराया जाये साथ ही तालाब की पाल की बंड भूमि पर किसी अन्य के द्वारा कोई अतिक्रमण तो नहीं किया है इसकी भी नपती की जाये।

तालाब डेढ़ किलोमीटर लम्बी पाल श्री डाड ने पैदल निरीक्षण कर निर्देशित किया कि बांध पर जो स्लैब बना हुआ है वह काफी संकरा है यहां प्रातः घुमने आने वाले नागरिकों किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े इस हेतु स्लैब को चौड़ा कर रैलिंग लगाई जाये इस हेतु जलसंसाधन व नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे।

इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि तालाब की पाल के अंदर व बाहर की ओर जो पेड़ है उनकी छंटाई करवाये जाने के साथ ही शेष अन्य झाड़ियों को हटाया जाये। उन्होने निर्देशित किया कि हनुमान ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा सौन्दर्यीकरण किया जाना है इस हेतु जो भी कार्य करवाये जाने है उसकी कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत किया जाये ताकि कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किये जा सकें।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री डाड ने निर्देशित किया कि पाल के पास उपलब्ध भूमि का वेस्ट मटेरियल से समतलीकरण किया जाकर यहां पर नागरिकों को प्रातःकाल एवं सांयकाल एक्सरसाईज हेतु जिम के उपकरण लगाये जाये व एक्यूपेशर वाले इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट ब्लॉक लगवाये जाये।

उक्त स्थलों के निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री सर्वश्री सत्यप्रकाश आचार्य, सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, जलसंसाधन विभाग कार्यपालन यंत्री श्री एच.के. मालवीय, उपयंत्री श्री आर.जी. पाटीदार, एसडीओ श्री गिरिश जोशी, पटवारी सर्वश्री नितिन त्यागी, जगदीश कसेरा, मुकेश मरमठ आदि उपस्थित थे।

अब बच्चे रखने लगे है कचरा फेकने वालों निगाह

कचरा मुक्त व सार्वजनिक स्थलो पर रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 06 दिसम्बर । शहर सीमा में अस्थायी कचरा स्थलों को नष्ट करने का अभियान सतत जारी है। इस अभियान के तहत कचरा मुक्त स्थल पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। रविवार को शहर के पटरी पार इलाके के जनता नगर, साई मंदिर नाला, आईटीआई स्थित अस्थायी कचरा स्थलों

को हटाया जाकर जब स्वच्छता का संदेश देने वाले रांगोली की निर्माण किया गया तो क्षेत्र के तमाम बच्चों ने संकल्प लिया है कि वो अब यहां दोबारा कचरा फेंकने वालों पर निगाह रखेगे, अपने मोबाईल से उनकी वीडियो बनाएंगे और सफाई मित्र समूह से जुड़े सदस्यों को व्हाटशाप पर पोस्ट करेगे। बच्चों के मन में स्वच्छता के प्रति इतना सम्मान देखते हुए क्षेत्रीय लोगों ने वादा किया है कि वो अब यहां दोबारा कचरा ना फेका जाए ऐसा प्रयास करेगे।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान रविवार को सफाई मित्र समूह की रीना मालवीय, फातेमा शेख, नाजनीन, नसीम और जया शर्मा सहित इनकी टीम ने कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीपदान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आह्वान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

इसके अलावा अलकापुरी उधान, अलकापुरी चौराहा, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, अलकापुरी ऑटो स्टैण्ड, विनोबा नगर, जवाहर नगर सी कालोनी, जैथ पब्लिक स्कूल, सज्जन मिल गेट, कस्तुरबा नगर पद्मश्री की गली, राज रेस्टोरेंट के पीछे, जवाहर नगर मुख्य मार्ग व गणेश मंदिर, कालेज रोड, चांदनी चौक आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने का संदेश नागरिकों को दिया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

गंदगी, मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही निरंतर जारी

रतलाम 06 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं, मलबा फैलाते हैं तथा अतिक्रमण करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा प्रातः सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान नाहरपुरा, सैलाना रोड व चांदनी चौक क्षेत्र में गंदगी व मलबा फैलाने तथा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों एवं नागरिकों पर जुर्माना किये जाने के निर्देश के तहत मंसूर अली-हसन अली चांदनी चौक पर 2000, आबिद हुसैन व न्यू सिंधी बेकरी नाहरपुरा पर 1000-1000, नवीन पोरवाल, दिनेश जैन, शाकिर हुसैन, राठौर रेस्टोरेंट चांदनी चौक, बाम्बे स्टील, राजू, दिनेश नागर, गुरुकृपा फोटो कॉपी व जे.एम.डी. स्टील पर 500-500 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

**कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना**

रतलाम 06 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

धानमण्डी में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 33,16,527/- संपत्तिकर व 7,85,800/- जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 06 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये हैं जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/- व जलकर 31,700/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/- व जलकर 13,500/-, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/- व जलकर 29,500/-, डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/- व जलकर 80,000/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/- व जलकर 24,800/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/- व जलकर 46,350/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/- व जलकर 45,500/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/- व जलकर 90,310/- की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 33,16,527/- संपत्तिकर व 7,85,800/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 7 से 8 दिसम्बर तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिए 9 दिसम्बर को लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 10 से 11 दिसम्बर तक प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड

क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्द्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/06.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.